प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 423 / 2023

अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी 2 आरपीएम (पिचकराई) तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. गोमती देवी पत्नी अमराराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 10.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 2 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 40 / 35 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्तव 2071–74 के खाता स0 27 / 27 की कुल 3.3020 हैक्ट भूमि व खाता स0 26 / 26 की कुल 1.6952 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादीया स0 1 के कोई औलाद नही होने के कारण से प्रतिवादीया स0 1 ने रजिस्टर्ड गोदनामा तस्दीक करवाकर वादी को गोद ले लिया हुआ है। इसलिए प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी का हक हिस्सा है। राजस्व रिकार्ड 2 आरपीएम के खाता स0 40 / 35 की जमाबंदी में प्रतिवादीया स0 1 का नाम सहवन गोमती देवी पत्नी अमराराम दर्ज है जबकि 4 आरपीएम के खाता स0 27 / 27 आधार कार्ड व अन्य पहचान दस्तावेजों में प्रतिवादीया स0 1 का नाम गोमती पत्नी अमराराम दर्ज है।

प्रतिवादीया स0 1 जो की वादी की दत्तक माता है मुताबिक पारिवारिक समझौता प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज भूमि में से रोही मौजा 2 आरपीएम के खाता स0 40 / 35 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि वादी को दी हुई है जिसमें वादी काबिज है व रोही मौजा 4 आरपीएम के खाता स0 27 / 27 की कुल 3.3020 हैक्ट व खाता स0 26 / 26 की कुल 1.6952 हैक्ट भूमि मे प्रतिवादीया स0 1 यथावत काबिज है। वादी उक्त [illegible] से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादीया स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादी का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 40/35 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्तव 2071–74 के खाता स0 27/27 की कुल 3.3020 हैक्ट भूमि व खाता स0 26/26 की कुल 1.6952 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत गोदनामा से स्पष्ट साबित है कि वादी प्रतिवादीया स0 1 का दत्तक पुत्र है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वाद के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:07 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 40/35 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीया स0 1 गोमती देवी पुत्री अमराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्तव 2071–74 के खाता स0 27/27 की कुल 3.3020 हैक्ट भूमि व खाता स0 26/26 की कुल 1.6952 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 10/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भूकरका

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 423 / 2023

अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी 2 आरपीएम (पिचकराई) तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. गोमती देवी पत्नी अमराराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 423 सन 2023 निर्णय दिनांक 10.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 40 / 35 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीया स0 1 गोमती देवी पुत्री अमराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्तव 2071–74 के खाता स0 27 / 27 की कुल 3.3020 हैक्ट भूमि व खाता स0 26 / 26 की कुल 1.6952 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 10/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भूकरका

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:07 IST
Reason: SelfAttested